



No. 2/9-2/DMC/2022-23/ 1155

Dated: - 17/October, 2022.

PUBLIC NOTICE

दादरा अने नगर हवेली अने दमण अने दीव म्युनिसिपल रेग्युलेशन 2004 नी धारा 111 अने धारा 115 उपधारा (1) अने (2) नी अनुसंधाने दमण नगर पालिका मां आवेल समस्त प्रोपर्टी नुं सर्वे पूर्ण थयेव छे. भास तमोने विनंती छे के आ संपत्ति नी नोटिस ध्यान पूर्वक वांछी आ संपत्ति नी माडिती नोटिस मां दर्शावेल सूचना मुजब कोर्छपण प्रकार नो वांधो अथवा लूल मणे तो सुधारो करवा तमे सुधारणा फ़ोर्म भरि ने 30 दिवस नी अंदर नगर पालिकानी ओफ़िस अथवा ओन बाईन www.dmcdaman.in नी माध्यम थी सुधारणा फ़ोर्म जमा करी शकथो. आ सुधारणा फ़ोर्म www.daman.nic.in वेबसाईट पर पण उपलब्ध छे. अरजदारी तेमना वांधाओ <https://grievance.dmcdaman.in/FileTracking/grievance> द्वारा भोक्वी शके छे. संपत्तिनी अवलोकन संख्यामा तमारा द्वारा वांधा अने सुधारणा फ़ोर्म 30 दिवस नी अंदर जमा नर्ही करवामां आवे तो प्रोपर्टी सर्वे नी माडिती साथी मानवमां आवशे.

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन द्वारा सीरिज-1 में प्रकाशित दिनांक 11 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 1 को लागू करने के लिए दमण नगरपालिका परिषद ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव नगरपालिका वि नियमन 2004 की धारा 111 की उप-धारा (1) एवं (2) तथा धारा 115 के तहत दमण नगरपालिका क्षेत्र के भीतर की सभी संपत्तियों का सर्वे पूरा कर लिया है। इसलिए, आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि वे इस संपत्ति कर निर्धारण को ध्यान से देखें। संपत्ति कर निर्धारण की सूची www.daman.nic.in के साथ-साथ दमण नगरपालिका परिषद की वेबसाईट www.dmcdaman.in पर भी उपलब्ध है। संशोधन फ़ॉर्म वेबसाईट www.dmcdaman.in पर भी उपलब्ध है। आवेदक अपनी आपत्तियां <https://grievance.dmcdaman.in/FileTracking/grievance> पर भी भेज सकते हैं। यदि इस नोटिस के जारी होने के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति या अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो आंकड़ों को सही मान लिया जाएगा।

To implement the Notification under Series I vide No. 1 dated 11th May 2018 issued by the UT Administration of DNH&DD, the Daman Municipal Council under sub-section (1) and (2) of section 111 and section 115 of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu Municipal Regulation 2004, has completed the survey of all the properties in Daman Municipal Area. Therefore, the general public is hereby to go through the tax assessment of the properties. The list of tax assessment is also available on the DMC's website www.dmcdaman.in as well as www.daman.nic.in. The amendment form is also available on the website www.dmcdaman.in. The applicants can also send their objections on <https://grievance.dmcdaman.in/FileTracking/grievance>. If no objection or request is received within 30 days of the notice, the data will be considered as correct.

टिप्पणी : - राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना <https://daman.nic.in/websites/Printing-press-Daman/documents/2018/Series-I/Series-I%20No.01.pdf>. पर उपलब्ध है।

Note: - The Gazette Notification is available on <https://daman.nic.in/websites/Printing-press-Daman/documents/2018/Series-I/Series-I%20No.01.pdf>.

(अरुण गुप्ता)
मुख्य अधिकारी,
दमण नगरपालिका,
दमण.

सेवा में
व्यापक प्रचार हेतु सभी नोटिस बोर्ड पर.

To,
All Notice Board for wide publicity.

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, डीएमसी, दमण.
2. पार्षद, दमण नगरपालिका परिषद.
3. एचसी (कराधान), डीएमसी, दमण.
4. गार्ड फाइल.

Copy for information to:-

1. The President, DMC, Daman.
2. The Councilors, Daman Municipal Council,
3. The HC (Taxation), DMC, Daman.